मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./बो. का./बैकलॉग भर्ती/ग/77/पार्ट–3/285 भोपाल, दिनांक 26.9.13

आदेश

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश कमांक/बी.–1/1/ग/771 दिनांक 24.03.2005 से प्रदत अधिकारों के तहत मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संचालक मंडल की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम–1998, में विनियम 13 (ब) केवल निःशक्तजनों के लिये चयन सूची की वैद्यता के संबंध में नवीन प्रावधान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

13 (ब)–" सीधी भर्ती के लिये निर्धारित प्रकिया के अंतर्गत किसी भी माध्यम से प्राप्त चयन सूची केवल निःशक्तजनों के लिये मंडी बोर्ड द्वारा जारी किये जाने की तारीख से चयन सूची एक वर्ष अथवा आगामी परीक्षा होने तक, जो भी बाद में हो, वैध रहेगी।

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बो. का./बैकलॉग भर्ती/ग/77/पार्ट–3/286 भोपाल, दिनांक 26.9.13

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री, सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक,, मंडी बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक/मुख्य अभियंता/संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
4. संयुक्त/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/ मण्डी बोर्ड ऑचलिक कार्यालय,भोपाल/ इन्दौर/उज्जैन/ सागर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा।
5. सूचना पटल/आदेश नस्ती/बोर्ड बैठक शाखा/पटल प्रभारी (समस्त)

सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल